

(Authoritative English text of this department Notification No.Home(A)A(9)-12/2020 Dated 23.5.2020 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India)

Government of Himachal Pradesh

Department of Home

No. Home(A)A(9)-12/2020

Dated: Shimla-02, the

23-05-2020

**NOTIFICATION**

WHEREAS, the Novel Corona Virus Disease (COVID-19), a highly contagious disease declared as World Pandemic by the World Health Organization (WHO), has spread throughout the Country in a manner endangering the life of all citizens. Accordingly, the State Government also notified the Himachal Pradesh Epidemic Disease (COVID-19) Regulations, 2020;

AND WHEREAS, the District Magistrate, Bilaspur, on being satisfied that for averting the spread of epidemic and to avert danger to human life, health and safety reasonable restrictions are required to be imposed, passed an order No. BLS-Peshi-1(1)-96 Bilaspur dated 24-03-2020 under sub-section (1) of Section 144 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act 2 of 1974);

AND WHEREAS, on account of large number of Corona cases in the State, likely to endanger human life, the State Government is satisfied that the aforesaid order, passed by the District Magistrate, is required to be extended to contain the spread, thereof;

NOW THEREFORE, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (4) of section 144 of the Code ibid and all other powers, enabling him in this behalf, authorizes the District Magistrate, Bilaspur to extend the aforesaid order further upto 30<sup>th</sup> day of June, 2020 from date of expiry of above said order .

By Order,

Manoj Kumar

Addl. Chief Secretary (Home) to the  
Government of Himachal Pradesh

23 -05-2020

Endst. As above

Dated: Shimla-02, the

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.
2. All the HODs in the State of H.P.
3. All the Distt. Magistrates in the State of H.P.
4. All the Superintendents of Police in the State of H.P.
5. The Controller, Printing & Stationery, H.P. with request to publish it in the e-Rajpatra extraordinary.

(Surinder Thakur)

Joint Secretary (Home) to the  
Government of Himachal Pradesh.  
Tel. No. 0177- 2628506

(Authoritative English text of this department Notification No.Home(A)A(9)-12/2020 Dated 23-5-2020  
as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India)

No. Home(A)A(9)-12/2020

Government of Himachal Pradesh  
Department of Home  
Dated: Shimla-02, the

23-05-2020

**NOTIFICATION**

WHEREAS, the Novel Corona Virus Disease (COVID-19), a highly contagious disease declared as World Pandemic by the World Health Organization (WHO), has spread throughout the Country in a manner endangering the life of all citizens. Accordingly, the State Government also notified the Himachal Pradesh Epidemic Disease (COVID-19) Regulations, 2020;

AND WHEREAS, the District Magistrate, Hamirpur, on being satisfied that for averting the spread of epidemic and to avert danger to human life, health and safety, reasonable restrictions are required to be imposed, passed an order No. DCH/DM/2020-598 dated 24-03-2020 under sub-section (1) of Section 144 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act 2 of 1974);

AND WHEREAS, on account of large number of Corona cases in the State, likely to endanger human life, the State Government is satisfied that the aforesaid order, passed by the District Magistrate, is required to be extended to contain the spread, thereof;

NOW THEREFORE, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (4) of section 144 of the Code ibid and all other powers, enabling him in this behalf, authorizes the District Magistrate, Hamirpur to extend the aforesaid order further upto 30<sup>th</sup> day of June, 2020 from date of expiry of above said order .

By Order,


Manoj Kumar  
Addl. Chief Secretary (Home) to the  
Government of Himachal Pradesh

23-05-2020

Endst. As above Dated: Shimla-02, the

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.
2. All the HODs in the State of H.P.
3. All the Distt. Magistrates in the State of H.P.
4. All the Superintendents of Police in the State of H.P.
5. The Controller, Printing & Stationery, H.P. with request to publish it in the e-Rajpatra extraordinary.

  
(Surinder Thakur)  
Joint Secretary (Home) to the  
Government of Himachal Pradesh.  
Tel. No. 0177- 2628506

(Authoritative English text of this department Notification No.Home(A)A(9)-12/2020 Dated 23-5-2020 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India)

No. Home(A)A(9)-12/2020

Government of Himachal Pradesh  
Department of Home  
Dated: Shimla-02, the

23-05-2020

**NOTIFICATION**

WHEREAS, the Novel Corona Virus Disease (COVID-19), a highly contagious disease declared as World Pandemic by the World Health Organization (WHO), has spread throughout the Country in a manner endangering the life of all citizens. Accordingly, the State Government also notified the Himachal Pradesh Epidemic Disease (COVID-19) Regulations, 2020;

AND WHEREAS, the District Magistrate, Sirmaur, on being satisfied that for averting the spread of epidemic and to avert danger to human life, health and safety, reasonable restrictions are required to be imposed, passed an order No. Peshi-II-23(106)/2020-151357 dated 24-03-2020 under sub-section (1) of Section 144 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act 2 of 1974);

AND WHEREAS, on account of large number of Corona cases in the State, likely to endanger human life, the State Government is satisfied that the aforesaid order, passed by the District Magistrate, is required to be extended to contain the spread, thereof;


NOW THEREFORE, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (4) of section 144 of the Code ibid and all other powers, enabling him in this behalf, authorizes the District Magistrate, Sirmaur to extend the aforesaid order further upto 30<sup>th</sup> day of June, 2020 from date of expiry of above said order .

By Order,

Manoj Kumar  
Addl. Chief Secretary (Home) to the  
Government of Himachal Pradesh  
23-05-2020

Endst. As above                      Dated: Shimla-02, the  
Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.
2. All the HODs in the State of H.P.
3. All the Distt. Magistrates in the State of H.P.
4. All the Superintendents of Police in the State of H.P.
5. The Controller, Printing & Stationery, H.P. with request to publish it in the e-Rajpatra extraordinary.

  
(Surinder Thakur)  
Joint Secretary (Home) to the  
Government of Himachal Pradesh.  
Tel. No. 0177- 2628506



(Authoritative English text of this department Notification No.Home(A)A(9)-12/2020 Dated 23.5.2020 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India)

Government of Himachal Pradesh  
Department of Home  
No. Home(A)A(9)-12/2020

Dated: Shimla-02, the

23-05-2020

**NOTIFICATION**

WHEREAS, the Novel Corona Virus Disease (COVID-19), a highly contagious disease declared as World Pandemic by the World Health Organization (WHO), has spread throughout the Country in a manner endangering the life of all citizens. Accordingly, the State Government also notified the Himachal Pradesh Epidemic Disease (COVID-19) Regulations, 2020;

AND WHEREAS, the District Magistrate, Kullu, on being satisfied that for averting the spread of epidemic and to avert danger to human life, health and safety, reasonable restrictions are required to be imposed, passed an order No. 1318-60/MA dated 24-03-2020 under sub-section (1) of Section 144 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act 2 of 1974);

AND WHEREAS, on account of large number of Corona cases in the State, likely to endanger human life, the State Government is satisfied that the aforesaid order, passed by the District Magistrate, is required to be extended to contain the spread, thereof;

NOW THEREFORE, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (4) of section 144 of the Code ibid and all other powers, enabling him in this behalf, authorizes the District Magistrate, Kullu to extend the aforesaid order further upto 30<sup>th</sup> day of June, 2020 from date of expiry of above said order .


By Order,

Manoj Kumar  
Addl. Chief Secretary (Home) to the  
Government of Himachal Pradesh

23-05-2020

Endst. As above                      Dated: Shimla-02, the  
Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.
2. All the HODs in the State of H.P.
3. All the Distt. Magistrates in the State of H.P.
4. All the Superintendents of Police in the State of H.P.
5. The Controller, Printing & Stationery, H.P. with request to publish it in the e-Rajpatra extraordinary.

  
(Surinder Thakur)  
Joint Secretary (Home) to the  
Government of Himachal Pradesh.  
Tel. No. 0177- 2628506

(Authoritative English text of this department Notification No.Home(A)A(9)-12/2020 Dated 23-5-2020 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India)

Government of Himachal Pradesh  
Department of Home

No. Home(A)A(9)-12/2020

Dated: Shimla-02, the

23 -05-2020

**NOTIFICATION**

WHEREAS, the Novel Corona Virus Disease (COVID-19), a highly contagious disease declared as World Pandemic by the World Health Organization (WHO), has spread throughout the Country in a manner endangering the life of all citizens. Accordingly, the State Government also notified the Himachal Pradesh Epidemic Disease (COVID-19) Regulations, 2020;

AND WHEREAS, the District Magistrate, Mandi, on being satisfied that for averting the spread of epidemic and to avert danger to human life, health and safety, reasonable restrictions are required to be imposed, passed an order No. 2020-1636-1695 dated 24-03-2020 under sub-section (1) of Section 144 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act 2 of 1974);

AND WHEREAS, on account of large number of Corona cases in the State, likely to endanger human life, the State Government is satisfied that the aforesaid order, passed by the District Magistrate, is required to be extended to contain the spread, thereof;

NOW THEREFORE, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (4) of section 144 of the Code ibid and all other powers, enabling him in this behalf, authorizes the District Magistrate, Mandi to extend the aforesaid order further upto 30<sup>th</sup> day of June, 2020 from date of expiry of above said order .

By Order,

Manoj Kumar  
Addl. Chief Secretary (Home) to the  
Government of Himachal Pradesh

23--05-2020

Endst. As above

Dated: Shimla-02, the

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.
2. All the HODs in the State of H.P.
3. All the Distt. Magistrates in the State of H.P.
4. All the Superintendents of Police in the State of H.P.
5. The Controller, Printing & Stationery, H.P. with request to publish it in the e-Rajpatra extraordinary.

(Surinder Thakur)  
Joint Secretary (Home) to the  
Government of Himachal Pradesh.  
Tel. No. 0177- 2628506

(Authoritative English text of this department Notification No.Home(A)A(9)-12/2020 Dated 23.5.2020 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India)

No. Home(A)A(9)-12/2020

Government of Himachal Pradesh  
Department of Home  
Dated: Shimla-02, the

23-05-2020

**NOTIFICATION**

WHEREAS, the Novel Corona Virus Disease (COVID-19), a highly contagious disease declared as World Pandemic by the World Health Organization (WHO), has spread throughout the Country in a manner endangering the life of all citizens, Accordingly, the State Government also notified the Himachal Pradesh Epidemic Disease (COVID-19) Regulations, 2020;

AND WHEREAS, the District Magistrate, Una, on being satisfied that for averting the spread of epidemic and to avert danger to human life, health and safety, reasonable restrictions are required to be imposed, passed an order No. 5114-5120 MA-MC-1 dated 24-03-2020 under sub-section (1) of Section 144 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act 2 of 1974);

AND WHEREAS, on account of large number of Corona cases in the State, likely to endanger human life, the State Government is satisfied that the aforesaid order, passed by the District Magistrate, is required to be extended to contain the spread, thereof;

NOW THEREFORE, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (4) of section 144 of the Code ibid and all other powers, enabling him in this behalf, authorizes the District Magistrate, Una to extend the aforesaid order further upto 30<sup>th</sup> day of June, 2020 from date of expiry of above said order .

By Order,

Manoj Kumar  
Addl. Chief Secretary (Home) to the  
Government of Himachal Pradesh


23-05-2020

Endst. As above

Dated: Shimla-02, the

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.
2. All the HODs in the State of H.P.
3. All the Distt. Magistrates in the State of H.P.
4. All the Superintendents of Police in the State of H.P.
5. The Controller, Printing & Stationery, H.P. with request to publish it in the e-Rajpatra extraordinary.

  
(Surinder Thakur)  
Joint Secretary (Home) to the  
Government of Himachal Pradesh.  
Tel. No. 0177- 2628506



(Authoritative English text of this department Notification No.Home(A)A(9)-12/2020 Dated 23.5.2020 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India)

No. Home(A)A(9)-12/2020

Government of Himachal Pradesh  
Department of Home  
Dated: Shimla-02, the

23-05-2020

**NOTIFICATION**

WHEREAS, the Novel Corona Virus Disease (COVID-19), a highly contagious disease declared as World Pandemic by the World Health Organization (WHO), has spread throughout the Country in a manner endangering the life of all citizens. Accordingly, the State Government also notified the Himachal Pradesh Epidemic Disease (COVID-19) Regulations, 2020;

AND WHEREAS, the District Magistrate, Kinnaur, on being satisfied that for averting the spread of epidemic and to avert danger to human life, health and safety, reasonable restrictions are required to be imposed, passed an order No. KNR-XV-131(PEH)/2019 dated 24-03-2020 under sub-section (1) of Section 144 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act 2 of 1974);

AND WHEREAS, on account of large number of Corona cases in the State, likely to endanger human life, the State Government is satisfied that the aforesaid order, passed by the District Magistrate, is required to be extended to contain the spread, thereof;

NOW THEREFORE, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (4) of section 144 of the Code ibid and all other powers, enabling him in this behalf, authorizes the District Magistrate, Kinnaur to extend the aforesaid order further upto 30<sup>th</sup> day of June, 2020 from date of expiry of above said order .


By Order,

Manoj Kumar  
Addl. Chief Secretary (Home) to the  
Government of Himachal Pradesh

23-05-2020

Endst. As above                      Dated: Shimla-02, the  
Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.
2. All the HODs in the State of H.P.
3. All the Distt. Magistrates in the State of H.P.
4. All the Superintendents of Police in the State of H.P.
5. The Controller, Printing & Stationery, H.P. with request to publish it in the e-Rajpatra extraordinary.

  
(Surinder Thakur)  
Joint Secretary (Home) to the  
Government of Himachal Pradesh.  
Tel. No. 0177- 2628506

Government of Himachal Pradesh  
Department of Home  
No. Home(A)A(9)-12/2020 Dated: Shimla-02, the

23-05-2020

**NOTIFICATION**

WHEREAS, the Novel Corona Virus Disease (COVID-19), a highly contagious disease declared as World Pandemic by the World Health Organization (WHO), has spread throughout the Country in a manner endangering the life of all citizens. Accordingly, the State Government also notified the Himachal Pradesh Epidemic Disease (COVID-19) Regulations, 2020;

AND WHEREAS, the District Magistrate, Shimla, on being satisfied that for averting the spread of epidemic and to avert danger to human life, health and safety, reasonable restrictions are required to be imposed, passed an order No. SML-PSH(7)/2004-Part-11-654-68 dated 24-03-2020 under sub-section (1) of Section 144 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act 2 of 1974);

AND WHEREAS, on account of large number of Corona cases in the State, likely to endanger human life, the State Government is satisfied that the aforesaid order, passed by the District Magistrate, is required to be extended to contain the spread, thereof;

NOW THEREFORE, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (4) of section 144 of the Code ibid and all other powers, enabling him in this behalf, authorizes the District Magistrate, Shimla to extend the aforesaid order further upto 30<sup>th</sup> day of June, 2020 from date of expiry of above said order .


By Order,

Manoj Kumar  
Addl. Chief Secretary (Home) to the  
Government of Himachal Pradesh

23-05-2020

Endst. As above Dated: Shimla-02, the  
Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.
2. All the HODs in the State of H.P.
3. All the Distt. Magistrates in the State of H.P.
4. All the Superintendents of Police in the State of H.P.
5. The Controller, Printing & Stationery, H.P. with request to publish it in the e-Rajpatra extraordinary.

  
(Surinder Thakur)  
Joint Secretary (Home) to the  
Government of Himachal Pradesh.  
Tel. No. 0177- 2628506



(Authoritative English text of this department Notification No.Home(A)A(9)-12/2020 Dated 23.5.2020 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India)

Government of Himachal Pradesh  
Department of Home  
No. Home(A)A(9)-12/2020 Dated: Shimla-02, the

23 -05-2020

**NOTIFICATION**

WHEREAS, the Novel Corona Virus Disease (COVID-19), a highly contagious disease declared as World Pandemic by the World Health Organization (WHO), has spread throughout the Country in a manner endangering the life of all citizens. Accordingly, the State Government also notified the Himachal Pradesh Epidemic Disease (COVID-19) Regulations, 2020;

AND WHEREAS, the District Magistrate, Solan, on being satisfied that for averting the spread of epidemic and to avert danger to human life, health and safety, reasonable restrictions are required to be imposed, passed an order No. SLN-Reader/DM/1-14/89-IV-3804 dated 24-03-2020 under sub-section (1) of Section 144 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act 2 of 1974);

AND WHEREAS, on account of large number of Corona cases in the State, likely to endanger human life, the State Government is satisfied that the aforesaid order, passed by the District Magistrate, is required to be extended to contain the spread, thereof;


NOW THEREFORE, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (4) of section 144 of the Code ibid and all other powers, enabling him in this behalf, authorizes the District Magistrate, Solan to extend the aforesaid order further upto 30<sup>th</sup> day of June, 2020 from date of expiry of above said order .

By Order,

Manoj Kumar  
Addl. Chief Secretary (Home) to the  
Government of Himachal Pradesh  
23 -05-2020

Endst. As above Dated: Shimla-02, the  
Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.
2. All the HODs in the State of H.P.
3. All the Distt. Magistrates in the State of H.P.
4. All the Superintendents of Police in the State of H.P.
5. The Controller, Printing & Stationery, H.P. with request to publish it in the e-Rajpatra extraordinary.

  
(Surinder Thakur)  
Joint Secretary (Home) to the  
Government of Himachal Pradesh.  
Tel. No. 0177- 2628506

(Authoritative English text of this department Notification No.Home(A)A(9)-12/2020 Dated 23.5.2020 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India)

Government of Himachal Pradesh

Department of Home

No. Home(A)A(9)-12/2020

Dated: Shimla-02, the

23 -05-2020

**NOTIFICATION**

WHEREAS, the Novel Corona Virus Disease (COVID-19), a highly contagious disease declared as World Pandemic by the World Health Organization (WHO), has spread throughout the Country in a manner endangering the life of all citizens. Accordingly, the State Government also notified the Himachal Pradesh Epidemic Disease (COVID-19) Regulations, 2020;

AND WHEREAS, the District Magistrate, Chamba, on being satisfied that for averting the spread of epidemic and to avert danger to human life, health and safety, reasonable restrictions are required to be imposed, passed an order No. CBA.Peshi-M-43(23)/2019-171 dated 24-03-2020 under sub-section (1) of Section 144 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act 2 of 1974);

AND WHEREAS, on account of large number of Corona cases in the State, likely to endanger human life, the State Government is satisfied that the aforesaid order, passed by the District Magistrate, is required to be extended to contain the spread, thereof;

NOW THEREFORE, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (4) of section 144 of the Code ibid and all other powers, enabling him in this behalf, authorizes the District Magistrate, Chamba to extend the aforesaid order further upto 30<sup>th</sup> day of June, 2020 from date of expiry of above said order .

By Order,

Manoj Kumar

Addl. Chief Secretary (Home) to the  
Government of Himachal Pradesh

23 -05-2020

Endst. As above

Dated: Shimla-02, the

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.
2. All the HODs in the State of H.P.
3. All the Distt. Magistrates in the State of H.P.
4. All the Superintendents of Police in the State of H.P.
5. The Controller, Printing & Stationery, H.P. with request to publish it in the e-Rajpatra extraordinary.

(Surinder Thakur)

Joint Secretary (Home) to the  
Government of Himachal Pradesh.  
Tel. No. 0177- 2628506

(Authoritative English text of this department Notification No.Home(A)A(9)-12/2020 Dated 23.5.2020 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India)

No. Home(A)A(9)-12/2020

Government of Himachal Pradesh  
Department of Home  
Dated: Shimla-02, the

23-05-2020

**NOTIFICATION**

WHEREAS, the Novel Corona Virus Disease (COVID-19), a highly contagious disease declared as World Pandemic by the World Health Organization (WHO), has spread throughout the Country in a manner endangering the life of all citizens. Accordingly, the State Government also notified the Himachal Pradesh Epidemic Disease (COVID-19) Regulations, 2020;

AND WHEREAS, the District Magistrate, Kangra, on being satisfied that for averting the spread of epidemic and to avert danger to human life, health and safety, reasonable restrictions are required to be imposed, passed an order No. 728-90/RDB dated 21-03-2020 under sub-section (1) of Section 144 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act 2 of 1974);

AND WHEREAS, on account of large number of Corona cases in the State, likely to endanger human life, the State Government is satisfied that the aforesaid order, passed by the District Magistrate, is required to be extended to contain the spread, thereof;

NOW THEREFORE, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (4) of section 144 of the Code ibid and all other powers, enabling him in this behalf, authorizes the District Magistrate, Kangra to extend the aforesaid order further upto 30<sup>th</sup> day of June, 2020 from date of expiry of above said order .

By Order,

Manoj Kumar  
Addl. Chief Secretary (Home) to the  
Government of Himachal Pradesh

23-05-2020

Endst. As above Dated: Shimla-02, the  
Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.
2. All the HODs in the State of H.P.
3. All the Distt. Magistrates in the State of H.P.
4. All the Superintendents of Police in the State of H.P.
5. The Controller, Printing & Stationery, H.P. with request to publish it in the e-Rajpatra extraordinary.

(Surinder Thakur)  
Joint Secretary (Home) to the  
Government of Himachal Pradesh.  
Tel. No. 0177- 2628506



(Authoritative English text of this department Notification No.Home(A)A(9)-12/2020 Dated 23.5.2020 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India)

Government of Himachal Pradesh  
Department of Home

No. Home(A)A(9)-12/2020

Dated: Shimla-02, the

23-05-2020

**NOTIFICATION**

WHEREAS, the Novel Corona Virus Disease (COVID-19), a highly contagious disease declared as World Pandemic by the World Health Organization (WHO), has spread throughout the Country in a manner endangering the life of all citizens. Accordingly, the State Government also notified the Himachal Pradesh Epidemic Disease (COVID-19) Regulations, 2020;

AND WHEREAS, the District Magistrate, Lahaul & Spiti, on being satisfied that for averting the spread of epidemic and to avert danger to human life, health and safety, reasonable restrictions are required to be imposed, passed an order No. 1487/PA dated 24-03-2020 under sub-section (1) of Section 144 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act 2 of 1974);

AND WHEREAS, on account of large number of Corona cases in the State, likely to endanger human life, the State Government is satisfied that the aforesaid order, passed by the District Magistrate, is required to be extended to contain the spread, thereof;

NOW THEREFORE, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (4) of section 144 of the Code ibid and all other powers, enabling him in this behalf, authorizes the District Magistrate, Lahaul & Spiti to extend the aforesaid order further upto 30<sup>th</sup> day of June, 2020 from date of expiry of above said order .

By Order,

Manoj Kumar

Addl. Chief Secretary (Home) to the  
Government of Himachal Pradesh

23-05-2020

Endst. As above

Dated: Shimla-02, the

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.
2. All the HODs in the State of H.P.
3. All the Distt. Magistrates in the State of H.P.
4. All the Superintendents of Police in the State of H.P.
5. The Controller, Printing & Stationery, H.P. with request to publish it in the e-Rajpatra extraordinary.

(Surinder Thakur)

Joint Secretary (Home) to the  
Government of Himachal Pradesh.

Tel. No. 0177- 2628506

**अधिसूचना**

नोवल कोरोना वाइरस रोग (कोविड-19) एक अत्यंत संक्रामक रोग है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू एच ओ) द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, जो सारे देश में इस प्रकार फैल चुका है कि समस्त नागरिकों का जीवन खतरे में पड़ चुका है। तदनुसार राज्य सरकार ने भी हिमाचल प्रदेश महामारी (कोविड-19) विनियम, 2020 अधिसूचित किए हैं;

जिला मजिस्ट्रेट बिलासपुर द्वारा, महामारी को फैलने से रोकने और मानव जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा के खतरे से बचने का समाधान हो जाने पर युक्तियुक्त निर्बंधन अधिरोपित किए जाने अपेक्षित हैं, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 2) की धारा 144 की उपधारा (1) के अधीन आदेश संख्या: बीएलएस-पेशी-(1)-96-बिलासपुर, तारीख 24-03-2020 पारित किए हैं;

राज्य में कोरोना मामलों की अत्यधिक संख्या के दृष्टिगत मानव जीवन का संकटापन होना सम्भाव्य है और राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित उपरोक्त आदेश इसको (कोविड-19) फैलने से रोकने के लिए विस्तारित किया जाना अपेक्षित है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त संहिता की धारा 144 की उपधारा (4) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उन्हें इस निमित्त समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला मजिस्ट्रेट, बिलासपुर को उपरोक्त आदेश के अवसान की तारीख से 30 जून, 2020 तक जिला में उपर्युक्त आदेश को विस्तारित करने हेतु प्राधिकृत करते हैं।

आदेश द्वारा,

मनोज कुमार  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

23-05-2020

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि। तारीख शिमला-2

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
3. समस्त जिला दण्डाधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
4. समस्त पुलिस अधीक्षक, हिमाचल प्रदेश।
5. नियंत्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-5 राजपत्र में प्रकाशन हेतु।

(सुरेन्द्र ठाकुर)  
संयुक्त सचिव(गृह)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।  
दूरभाष सं० 0177-2628506

**अधिसूचना**

नोवल कोरोना वाइरस रोग (कोविड-19) एक अत्यंत संक्रामक रोग है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू एच ओ) द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, जो सारे देश में इस प्रकार फैल चुका है कि समस्त नागरिकों का जीवन खतरे में पड़ चुका है। तदनुसार राज्य सरकार ने भी हिमाचल प्रदेश महामारी (कोविड-19) विनियम, 2020 अधिसूचित किए हैं,

जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर द्वारा, महामारी को फैलने से रोकने और मानव जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा के खतरे से बचने का समाधान हो जाने पर युक्तियुक्त निर्बंधन अधिरोपित किए जाने अपेक्षित हैं, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 2) की धारा 144 की उपधारा (1) के अधीन आदेश संख्या: डी0सी0एच0/डी0एम0/2020-598, तारीख 24-03-2020 पारित किए हैं,

राज्य में कोरोना मामलों की अत्यधिक संख्या के दृष्टिगत मानव जीवन का संकटापन होना सम्भाव्य है और राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित उपरोक्त आदेश इसको (कोविड-19) फैलने से रोकने के लिए विस्तारित किया जाना अपेक्षित है,

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त संहिता की धारा 144 की उपधारा (4) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उन्हें इस निमित्त समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर को उपरोक्त आदेश के अवसान की तारीख से 30 जून, 2020 तक जिला में उपर्युक्त आदेश को विस्तारित करने हेतु प्राधिकृत करते हैं।

आदेश द्वारा,

(मनोज कुमार)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह)

हिमाचल प्रदेश सरकार ।

23-05-2020

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि। तारीख शिमला-2

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
3. समस्त जिला दण्डाधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
4. समस्त पुलिस अधीक्षक, हिमाचल प्रदेश।
5. नियंत्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-5 राजपत्र में प्रकाशन हेतु ।

(सुरेन्द्र ठाकुर)

संयुक्त सचिव(गृह)

हिमाचल प्रदेश सरकार ।

दूरभाष नं० 0177-2628506



### अधिसूचना

नोवल कोरोना वाइरस रोग (कोविड-19) एक अत्यंत संक्रामक रोग है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू एच ओ) द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, जो सारे देश में इस प्रकार फैल चुका है कि समस्त नागरिकों का जीवन खतरे में पड़ चुका है। तदनुसार राज्य सरकार ने भी हिमाचल प्रदेश महामारी (कोविड-19) विनियम, 2020 अधिसूचित किए हैं,

जिला मजिस्ट्रेट सिरमौर द्वारा, महामारी को फैलने से रोकने और मानव जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा के खतरे से बचने का समाधान हो जाने पर युक्तियुक्त निर्बंधन अधिरोपित किए जाने अपेक्षित हैं, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 2) की धारा 144 की उपधारा (1) के अधीन आदेश संख्या: पेशी-II-23(106)/2020-151357, तारीख 24-03-2020 पारित किए हैं;

राज्य में कोरोना मामलों की अत्यधिक संख्या के दृष्टिगत मानव जीवन का संकटापन होना सम्भाव्य है और राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित उपरोक्त आदेश इसको (कोविड-19) फैलने से रोकने के लिए विस्तारित किया जाना अपेक्षित है,

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त संहिता की धारा 144 की उपधारा (4) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उन्हें इस निमित्त समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला मजिस्ट्रेट, सिरमौर को उपरोक्त आदेश के अवसान की तारीख से 30 जून, 2020 तक जिला में उपर्युक्त आदेश को विस्तारित करने हेतु प्राधिकृत करते हैं।

आदेश द्वारा,

(मनोज कुमार)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह)

हिमाचल प्रदेश सरकार।

23-05-2020

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि। तारीख शिमला-2

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
3. समस्त जिला दण्डाधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
4. समस्त पुलिस अधीक्षक, हिमाचल प्रदेश।
5. नियंत्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-5 राजपत्र में प्रकाशन हेतु।

(सुरेन्द्र ठाकुर)

सयुक्त सचिव(गृह)

हिमाचल प्रदेश सरकार।

दूरभाष नं० 0177-2628506

### अधिसूचना

नोवल कोरोना वाइरस रोग (कोविड-19) एक अत्यंत संक्रामक रोग है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू एच ओ) द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, जो सारे देश में इस प्रकार फैल चुका है कि समस्त नागरिकों का जीवन खतरे में पड़ चुका है। तदनुसार राज्य सरकार ने भी हिमाचल प्रदेश महामारी (कोविड-19) विनियम, 2020 अधिसूचित किए हैं;

जिला मजिस्ट्रेट कुल्लू द्वारा, महामारी को फैलने से रोकने और मानव जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा के खतरे से बचने का समाधान हो जाने पर युक्तियुक्त निर्बंधन अधिरोपित किए जाने अपेक्षित हैं, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 2) की धारा 144 की उपधारा (1) के अधीन आदेश संख्या: 1318-60/एम0ए0, तारीख 24-03-2020 पारित किए हैं;

राज्य में कोरोना मामलों की अत्यधिक संख्या के दृष्टिगत मानव जीवन का संकटापन होना सम्भाव्य है और राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित उपरोक्त आदेश इसको (कोविड-19) फैलने से रोकने के लिए विस्तारित किया जाना अपेक्षित है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त संहिता की धारा 144 की उपधारा (4) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उन्हें इस निमित्त समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला मजिस्ट्रेट, कुल्लू को उपरोक्त आदेश के अवसान की तारीख से 30 जून, 2020 तक जिला में उपर्युक्त आदेश को विस्तारित करने हेतु प्राधिकृत करते हैं।

आदेश द्वारा,

(मनोज कुमार)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह)

हिमाचल प्रदेश सरकार।

23-05-2020

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि। तारीख शिमला-2

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
3. समस्त जिला दण्डाधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
4. समस्त पुलिस अधीक्षक, हिमाचल प्रदेश।
5. नियंत्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-5 राजपत्र में प्रकाशन हेतु।

(सुरेन्द्र ठाकुर)

संयुक्त सचिव(गृह)

हिमाचल प्रदेश सरकार।

दूरभाष नं० 0177-2628506

### अधिसूचना

नोवल कोरोना वाइरस रोग (कोविड-19) एक अत्यंत संक्रामक रोग है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू एच ओ) द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, जो सारे देश में इस प्रकार फैल चुका है कि समस्त नागरिकों का जीवन खतरे में पड़ चुका है। तदनुसार राज्य सरकार ने भी हिमाचल प्रदेश महामारी (कोविड-19) विनियम, 2020 अधिसूचित किए हैं,

जिला मजिस्ट्रेट मण्डी द्वारा, महामारी को फैलने से रोकने और मानव जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा के खतरे से बचने का समाधान हो जाने पर युक्तियुक्त निर्बंधन अधिरोपित किए जाने अपेक्षित हैं, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 2) की धारा 144 की उपधारा (1) के अधीन आदेश संख्या: 2020-1636-1695, तारीख 24-03-2020 पारित किए हैं;

राज्य में कोरोना मामलों की अत्यधिक संख्या के दृष्टिगत मानव जीवन का संकटापन होना सम्भाव्य है और राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित उपरोक्त आदेश इसको (कोविड-19) फैलने से रोकने के लिए विस्तारित किया जाना अपेक्षित है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त संहिता की धारा 144 की उपधारा (4) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उन्हें इस निमित्त समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला मजिस्ट्रेट, मण्डी को उपरोक्त आदेश के अवसान की तारीख से 30 जून, 2020 तक जिला में उपर्युक्त आदेश को विस्तारित करने हेतु प्राधिकृत करते हैं।

आदेश द्वारा,

(मनोज कुमार)  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह)  
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

23-05-2020

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि। तारीख शिमला-2

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
3. समस्त जिला दण्डाधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
4. समस्त पुलिस अधीक्षक, हिमाचल प्रदेश।
5. नियंत्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-5 राजपत्र मे प्रकाशन हेतु ।

(सुरेन्द्र ठाकुर)  
संयुक्त सचिव(गृह)  
हिमाचल प्रदेश सरकार ।  
दूरभाष नं०. 0177-2628506



### अधिसूचना

नोवल कोरोना वाइरस रोग (कोविड-19) एक अत्यंत संक्रामक रोग है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू एच ओ) द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, जो सारे देश में इस प्रकार फैल चुका है कि समस्त नागरिकों का जीवन खतरे में पड़ चुका है। तदनुसार राज्य सरकार ने भी हिमाचल प्रदेश महामारी (कोविड-19) विनियम, 2020 अधिसूचित किए हैं,

जिला मजिस्ट्रेट ऊना द्वारा, महामारी को फैलने से रोकने और मानव जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा के खतरे से बचने का समाधान हो जाने पर युक्तियुक्त निर्बंधन अधिरोपित किए जाने अपेक्षित हैं, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 2) की धारा 144 की उपधारा (1) के अधीन आदेश संख्या: 5114-5120 एम0ए0एम0सी0-1, तारीख 24-03-2020 पारित किए हैं;

राज्य में कोरोना मामलों की अत्यधिक संख्या के दृष्टिगत मानव जीवन का संकटापन होना सम्भाव्य है और राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित उपरोक्त आदेश इसको (कोविड-19) फैलने से रोकने के लिए विस्तारित किया जाना अपेक्षित है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त संहिता की धारा 144 की उपधारा (4) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उन्हें इस निमित्त समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला मजिस्ट्रेट, ऊना को उपरोक्त आदेश के अवसान की तारीख से 30 जून, 2020 तक जिला में उपर्युक्त आदेश को विस्तारित करने हेतु प्राधिकृत करते हैं।

आदेश द्वारा,

(मनोज कुमार)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह)  
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

23-05-2020

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि। तारीख शिमला-2

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
3. समस्त जिला दण्डाधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
4. समस्त पुलिस अधीक्षक, हिमाचल प्रदेश।
5. नियंत्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-5 राजपत्र में प्रकाशन हेतु ।

(सुरेन्द्र ठाकुर)

संयुक्त सचिव(गृह)  
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

दूरभाष नं०. 0177-2628506

### अधिसूचना

नोवल कोरोना वाइरस रोग (कोविड-19) एक अत्यंत संक्रामक रोग है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू एच ओ) द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, जो सारे देश में इस प्रकार फैल चुका है कि समस्त नागरिकों का जीवन खतरे में पड़ चुका है। तदनुसार राज्य सरकार ने भी हिमाचल प्रदेश महामारी (कोविड-19) विनियम, 2020 अधिसूचित किए हैं,

जिला मजिस्ट्रेट, किन्नौर द्वारा, महामारी को फैलने से रोकने और मानव जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा के खतरे से बचने का समाधान हो जाने पर युक्तियुक्त निर्बंधन अधिरोपित किए जाने अपेक्षित हैं, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 2) की धारा 144 की उपधारा (1) के अधीन आदेश संख्या: के0एन0एम0आर0-XV-131 (पी0ई0एच0)/2019, तारीख 24-03-2020 पारित किए हैं,

राज्य में कोरोना मामलों की अत्यधिक संख्या के दृष्टिगत मानव जीवन का संकटापन होना सम्भाव्य है और राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित उपरोक्त आदेश इसको (कोविड-19) फैलने से रोकने के लिए विस्तारित किया जाना अपेक्षित है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त संहिता की धारा 144 की उपधारा (4) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उन्हें इस निमित्त समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला मजिस्ट्रेट, किन्नौर को उपरोक्त आदेश के अवसान की तारीख से 30 जून, 2020 तक जिला में उपर्युक्त आदेश को विस्तारित करने हेतु प्राधिकृत करते हैं।

आदेश द्वारा,

मनोज कुमार  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

23-05-2020

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि। तारीख शिमला-2

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
3. समस्त जिला दण्डाधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
4. समस्त पुलिस अधीक्षक, हिमाचल प्रदेश।
5. नियंत्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-5 राजपत्र में प्रकाशन हेतु।

(सुरेन्द्र ठाकुर)  
संयुक्त सचिव(गृह)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।  
दूरभाष सं० 0177-2628506

**अधिसूचना**

नोवल कोरोना वाइरस रोग (कोविड-19) एक अत्यंत संक्रामक रोग है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू एच ओ) द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, जो सारे देश में इस प्रकार फैल चुका है कि समस्त नागरिकों का जीवन खतरे में पड़ चुका है। तदनुसार राज्य सरकार ने भी हिमाचल प्रदेश महामारी (कोविड-19) विनियम, 2020 अधिसूचित किए हैं:

जिला मजिस्ट्रेट, शिमला द्वारा, महामारी को फैलने से रोकने और मानव जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा के खतरे से बचने का समाधान हो जाने पर युक्तियुक्त निर्बंधन अधिरोपित किए जाने अपेक्षित हैं, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 2) की धारा 144 की उपधारा (1) के अधीन आदेश संख्या: एस0एम0एल0-पी0ए0एच0(7)/2004-पार्ट-II-654-68 तारीख 24-03-2020 पारित किए हैं;

राज्य में कोरोना मामलों की अत्यधिक संख्या के दृष्टिगत मानव जीवन का संकटापन होना सम्भाव्य है और राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित उपरोक्त आदेश इसको (कोविड-19) फैलने से रोकने के लिए विस्तारित किया जाना अपेक्षित है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त संहिता की धारा 144 की उपधारा (4) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उन्हें इस निमित्त समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला मजिस्ट्रेट, शिमला को उपरोक्त आदेश के अवसान की तारीख से 30 जून, 2020 तक जिला में उपर्युक्त आदेश को विस्तारित करने हेतु प्राधिकृत करते हैं।

आदेश द्वारा,

मनोज कुमार  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

23-05-2020

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि। तारीख शिमला-2

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
3. समस्त जिला दण्डाधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
4. समस्त पुलिस अधीक्षक, हिमाचल प्रदेश।
5. नियंत्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-5 राजपत्र मे प्रकाशन हेतु।

(सुरेन्द्र ठाकुर)  
संयुक्त सचिव(गृह)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।  
दूरभाष सं० 0177-2628506



हिमाचल प्रदेश सरकार  
गृह विभाग

संख्या: गृह(ए)ए(9)-12/2020

तारीख: शिमला-171002,

23-05-2020

**अधिसूचना**

नोवल कोरोना वाइरस रोग (कोविड-19) एक अत्यंत संक्रामक रोग है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू एच ओ) द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, जो सारे देश में इस प्रकार फैल चुका है कि समस्त नागरिकों का जीवन खतरे में पड़ चुका है। तदनुसार राज्य सरकार ने भी हिमाचल प्रदेश महामारी (कोविड-19) विनियम, 2020 अधिसूचित किए हैं,

जिला मजिस्ट्रेट सोलन द्वारा, महामारी को फैलने से रोकने और मानव जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा के खतरे से बचने का समाधान हो जाने पर युक्तियुक्त निर्बंधन अधिरोपित किए जाने अपेक्षित हैं, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 2) की धारा 144 की उपधारा (1) के अधीन आदेश संख्या: एस0एल0एन0-रीडर/डी0एम0/1-14/89-IV-3804 तारीख 24-03-2020 पारित किए हैं;

राज्य में कोरोना मामलों की अत्यधिक संख्या के दृष्टिगत मानव जीवन का संकटापन होना सम्भाव्य है और राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित उपरोक्त आदेश इसको (कोविड-19) फैलने से रोकने के लिए विस्तारित किया जाना अपेक्षित है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त संहिता की धारा 144 की उपधारा (4) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उन्हें इस निमित्त समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला मजिस्ट्रेट, सोलन को उपरोक्त आदेश के अवसान की तारीख से 30 जून, 2020 तक जिला में उपर्युक्त आदेश को विस्तारित करने हेतु प्राधिकृत करते हैं।

आदेश द्वारा,

मनोज कुमार  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह)  
हिमाचल प्रदेश सरकार ।  
23-05-2020

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि। तारीख शिमला-2

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
3. समस्त जिला दण्डाधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
4. समस्त पुलिस अधीक्षक, हिमाचल प्रदेश।
5. नियंत्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-5 राजपत्र मे प्रकाशन हेतु ।

(सुरेन्द्र ठाकुर)  
संयुक्त सचिव(गृह)  
हिमाचल प्रदेश सरकार ।  
दूरभाष सं० 0177-2628506

### अधिसूचना

नोवल कोरोना वाइरस रोग (कोविड-19) एक अत्यंत संक्रामक रोग है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू एच ओ) द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, जो सारे देश में इस प्रकार फैल चुका है कि समस्त नागरिकों का जीवन खतरे में पड़ चुका है। तदनुसार राज्य सरकार ने भी हिमाचल प्रदेश महामारी (कोविड-19) विनियम, 2020 अधिसूचित किए हैं;

जिला मजिस्ट्रेट चम्बा द्वारा, महामारी को फैलने से रोकने और मानव जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा के खतरे से बचने का समाधान हो जाने पर युक्तियुक्त निर्बंधन अधिरोपित किए जाने अपेक्षित हैं, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 2) की धारा 144 की उपधारा (1) के अधीन आदेश संख्या: सी0बी0ए0-पेशी-एम0-43(23)/2019-171, तारीख 24-03-2020 पारित किए हैं;

राज्य में कोरोना मामलों की अत्यधिक संख्या के दृष्टिगत मानव जीवन का संकटापन होना सम्भाव्य है और राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित उपरोक्त आदेश इसको (कोविड-19) फैलने से रोकने के लिए विस्तारित किया जाना अपेक्षित है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त संहिता की धारा 144 की उपधारा (4) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उन्हें इस निमित्त समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला मजिस्ट्रेट, चम्बा को उपरोक्त आदेश के अवसान की तारीख से 30 जून, 2020 तक जिला में उपर्युक्त आदेश को विस्तारित करने हेतु प्राधिकृत करते हैं।

आदेश द्वारा,

मनोज कुमार  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह)  
हिमाचल प्रदेश सरकार ।  
23-05-2020

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि। तारीख शिमला-2

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
3. समस्त जिला दण्डाधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
4. समस्त पुलिस अधीक्षक, हिमाचल प्रदेश।
5. नियंत्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-5 राजपत्र मे प्रकाशन हेतु ।

(सुरेन्द्र ठाकुर)  
संयुक्त सचिव(गृह)  
हिमाचल प्रदेश सरकार ।  
दूरभाष सं0 0177-2628506

**अधिसूचना**

नोवल कोरोना वाइरस रोग (कोविड-19) एक अत्यंत संक्रामक रोग है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू एच ओ) द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, जो सारे देश में इस प्रकार फैल चुका है कि समस्त नागरिकों का जीवन खतरे में पड़ चुका है। तदनुसार राज्य सरकार ने भी हिमाचल प्रदेश महामारी (कोविड-19) विनियम, 2020 अधिसूचित किए हैं,

जिला मजिस्ट्रेट कांगड़ा द्वारा, महामारी को फैलने से रोकने और मानव जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा के खतरे से बचने का समाधान हो जाने पर युक्तियुक्त निर्बंधन अधिरोपित किए जाने अपेक्षित हैं, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 2) की धारा 144 की उपधारा (1) के अधीन आदेश संख्या: 728-90/आर0डी0बी0, तारीख 21-03-2020 पारित किए हैं,

राज्य में कोरोना मामलों की अत्यधिक संख्या के दृष्टिगत मानव जीवन का संकटापन होना सम्भाव्य है और राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित उपरोक्त आदेश इसको (कोविड-19) फैलने से रोकने के लिए विस्तारित किया जाना अपेक्षित है,

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त संहिता की धारा 144 की उपधारा (4) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उन्हें इस निमित्त समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला मजिस्ट्रेट, कांगड़ा को उपरोक्त आदेश के अवसान की तारीख से 30 जून, 2020 तक जिला में उपर्युक्त आदेश को विस्तारित करने हेतु प्राधिकृत करते हैं।

आदेश द्वारा,

मनोज कुमार  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

23-05-2020

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि। तारीख शिमला-2

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
3. समस्त जिला दण्डाधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
4. समस्त पुलिस अधीक्षक, हिमाचल प्रदेश।
5. नियंत्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-5 राजपत्र में प्रकाशन हेतु।

(सुरेन्द्र ठाकुर)  
संयुक्त सचिव(गृह)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।  
दूरभाष सं० 0177-2628506



**अधिसूचना**

नोवल कोरोना वाइरस रोग (कोविड-19) एक अत्यंत संक्रामक रोग है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू एच ओ) द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, जो सारे देश में इस प्रकार फैल चुका है कि समस्त नागरिकों का जीवन खतरे में पड़ चुका है। तदनुसार राज्य सरकार ने भी हिमाचल प्रदेश महामारी (कोविड-19) विनियम, 2020 अधिसूचित किए हैं;

जिला मजिस्ट्रेट लाहौल एवं स्पिति द्वारा, महामारी को फैलने से रोकने और मानव जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा के खतरे से बचने का समाधान हो जाने पर युक्तियुक्त निर्बंधन अधिरोपित किए जाने अपेक्षित हैं, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 2) की धारा 144 की उपधारा (1) के अधीन आदेश संख्या: 1487/पी0ए0, तारीख 24-03-2020 पारित किए हैं;

राज्य में कोरोना मामलों की अत्यधिक संख्या के दृष्टिगत मानव जीवन का संकटापन होना सम्भाव्य है और राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित उपरोक्त आदेश इसको (कोविड-19) फैलने से रोकने के लिए विस्तारित किया जाना अपेक्षित है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त संहिता की धारा 144 की उपधारा (4) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उन्हें इस निमित्त समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला मजिस्ट्रेट, लाहौल एवं स्पिति को उपरोक्त आदेश के अवसान की तारीख से 30 जून, 2020 तक जिला में उपर्युक्त आदेश को विस्तारित करने हेतु प्राधिकृत करते हैं।

आदेश द्वारा,


(मनोज कुमार)  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

23-05-2020

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि। तारीख शिमला-2

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
3. समस्त जिला दण्डाधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
4. समस्त पुलिस अधीक्षक, हिमाचल प्रदेश।
5. नियंत्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-5 राजपत्र में प्रकाशन हेतु।

  
(सुरेन्द्र ठाकुर)  
संयुक्त सचिव(गृह)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।  
दूरभाष नं०. 0177-2628506